(9)

न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर,

निगरानी 34-I-15

दि. 7-1-15 को

प्रकरण क्रमांक /2015 पुनरीक्षण

क्लर्क ऑफ कोर्ट 7-1-15
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

राघवेन्द्रप्रतापसिंह पुत्र श्री किशोरसिंह बुन्देला निवासी- ग्राम पहरा, तहसील राजनगर जिला छतरपुर, म0प्र0 --आवेदक

बनाम

1. पवनदेव पुत्र श्री रणवीरसिंह बुन्देला
2. इन्द्रदेव पुत्र श्री रणवीरसिंह बुन्देला निवासीगण- ग्राम पहरा, तहसील राजनगर जिला छतरपुर, म0प्र0

---अनावेदकगण

S.K. Shrivastava

<u>पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश पत्रिका दिनांक 12/12/2014 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार महोदय, तहसील राजनगर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 187/अ6/2011-12 व उनवान राघवेन्द्र प्रतापसिंह बनाम पवनदेवी आदि ।</u>

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से पुनरीक्षण माननीय न्यायालय के समक्ष निम्नानुसार प्रस्तुत हैः-

<u>प्रकरण के तथ्य</u>

1. यहकि, प्रश्नाधीन भूमि सर्वे क्रमांक 691, 693 695, कुल किता 3 कुल रकवा 4.082 के सम्पूर्ण रकवा एवं सर्वे क्रमांक 561, 574, 848, 849, 850, 851 से 854, 958 कुल किता 10 कुल रकवा 3.542 हैक्टर स्थित ग्राम पहरा तहसील राजनगर, जिला

R-34-एक/2015 (12)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 34-एक/15 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13.1.2015	आवेदक अधिवक्ता श्री एस0के0श्रीवास्तव उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता पर सुना । 2– आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तहसील राजनगर जिला छतरपुर के प्रकरण कमांक 187/अ–6/11–12 में पारित आदेश दिनांक 12–12–14 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया, जिससे दुखित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है । 3– तहसीलदार के आदेश के अवलोकन उपरांत इस प्रकरण का अंतिम निराकरण तहसीलदार को इन निर्देशों के साथ किया जाता है कि तहसीलदार आवेदक को साक्ष्य प्रस्तुत करने का एक और अवसर उपलब्ध करायें । प्रशासकीय सदस्य	